रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232712
CG-DL-E-18012022-232712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 243] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

गृह मंत्रालय

(संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 247(अ).—केंद्रीय सरकार,दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्र का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र की बाबत निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधियों और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकूलन) छठा आदेश, 2022 है।

   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार यह भारत के भू-भाग में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से ही, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों और विनियमों, जब तक सक्षम विधान-मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किया जाए, इस आदेश से संलग्न अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्ययीन, प्रभावी होगा या यदि इस प्रकार निदेश दिया जाएगा तो यह निरसित हो जाएगा।

4. जहां इस आदेश में यह अपेक्षा की गई है कि विनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या किसी भाग में कतिपय शब्दों के लिए कतिपय शब्द रखे जाएंगे अथवा कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा, वहां यथास्थिति ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, उसके सिवाय जहां इसके लिए अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंध किया गया है, किया जाएगा, जहां कहीं निर्दिष्ट शब्द उस धारा या भाग में आए हों।

5. इस आदेश के उपबंध, जो किसी राज्य विधि या किसी विनियम को अनुकूलित या उपांतरित या निरसित करते हैं ताकि उस रीति, जिसमें, प्राधिकारी, जिसके द्वारा या विधि, जिसके अधीन या जिसके अनुसार, कोई शक्तियां प्रयोग किए जाने योग्य हैं, को परिवर्तित किया जा सके, किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, संबद्धता, उप-विधि, नियम या विनियम, जो सम्यक रूप से बनाया गया है या जारी किया गया है या तारीख 26 जनवरी, 2020 से पूर्व सम्यक रूप से किए गए किसी कार्य को अमान्य नहीं करेंगे; तथा किसी ऐसी अधिसूचना, आदेश प्रतिबद्धता, संबद्धता, उप-विधि, नियम, विनियम या किसी अन्य बात का प्रतिसंहरण, परिवर्तन या निरसन समान रीति में, समान सीमा तक और समान परिस्थितियों में किया जा सकेगा मानो यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार, इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् बनाया गया था, जारी किया गया था या किया गया था।

6. (1) विनियम की किसी धारा या उपबंध के लोप या संशोधन या इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि के निरसन से निम्नलिखित प्रभावित नहीं होगा —

क) इस प्रकार लोप या संशोधित या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध या विनियम या विधि या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या प्रतिकूल रूप से प्रभावित किसी बात का पूर्ववर्ती प्रचालन;

ख) इस प्रकार लोप या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता ;

ग) इस प्रकार लोप या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध के विरूद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड; या

घ) उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 या यह आदेश प्रवृत्त नहीं हुआ था।

(2) उप-पैरा (1), में अंतर्विष्ट उपबंध के अध्यधीन, किसी ऐसी विधि या विनियमों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई (जिसके अंतर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, बनाया गयी उप-विधि या स्कीम, प्राप्त प्रमाण-पत्र, दिया गया अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञप्ति या किया गया रजिस्ट्रीकरण या ठहराव भी है) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर अब विस्तारित और लागू विधियों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया माना जाएगा और तदनुसार प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में अब विस्तारित विधियों के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमित नहीं किया गया हो।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

1. राज्य विधि

1. राष्ट्रपतीय विनियम

(क) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और नगर परिषद विनियम, 2004

(2004 का 2)

1. धारा 17.– उप-धारा (1) में,-

(क) खंड (छ) में, "स्वेच्छा से" से पहले "जो भारत का नागरिक नहीं है" अंत:स्थापित करें;

(ख) खंड (ढ) के पश्चात् अंत:स्थापित करें, -

"(ण) जिसके दो से अधिक बच्चे हैं:

परंतु ऐसे व्यक्ति को जिसके दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकूलन) छटा आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस खंड में "ऐसे प्रारंभ की तारीख" कहा गया है) के प्रारंभ होने की तारीख को दो से अधिक बच्चे हैं, इस खंड के अधीन अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि ऐसे प्रारंभ की तारीख को उसके बच्चों की संख्या नहीं बढ़ती:

परंतु यह भी कि इस तरह के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक ही प्रसव में पैदा हुए बच्चे या एक से अधिक बच्चों पर इस खंड के तहत अयोग्यता के उद्देश्य से विचार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.-इस खंड के प्रयोजन से, -

(i) जहां किसी दंपत्ति के पास ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् एक ही बच्चा है, एकल अनुवर्ती प्रसव से पैदा हुए बच्चों की संख्या को एक इकाई माना जाएगा;

(ii) 'बच्चे' में गोद लिया गया बच्चा या बच्चे शामिल नहीं हैं।"

2. धारा 53- उप-धारा (1) के परंतुक में, "केंद्र सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन" का लोप करें।

3. धारा 54 –धारा 54 के स्थान पर रखें, -

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि

"54.(1) (क) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकूलन) छटा आदेश, 2022 के प्रभावी होने के पश्चात् हुए साधारण निर्वाचन से गठित नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि ढाई वर्ष की होगी।

(ख) प्रत्येक दूसरी कार्यविधि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(ग) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधियों और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकूलन) छठा आदेश, 2022 के प्रवृत्त होने के दौरान, जो पदधारण कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति की तारीख से केवल ढाई वर्ष की अवधि तक और उससे अनधिक अपना पद धारण करेंगे।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन उसकी पदावधि के दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पार्षद नहीं रहता है तो वह उसके द्वारा धारित पद रिक्त कर देगा।

(3) नगरपालिका के पार्षदों की पदावधि के अवसान पर, नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के वर्तमान प्रशासनिक कर्तव्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा निर्वहन किए जाएंगे, जो वह इस निमित्त ऐसे समय तक के लिए जब तक कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गए हों तथा उन्होंने अपने कर्तव्यों का भार ग्रहण कर लिया हो, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद त्याग या हटाए जाने पर, यथास्थिति, पद त्याग करने वाले या हटाए गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पद और उसकी अभिरक्षा में नगरपालिका के अभिलेख तथा संपत्ति का भार पद धारण करने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निदेशक या अन्य अधिकारी को हस्तांतरित करे।

(5) उपधारा (4) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पार्षद द्वारा पद का भार हस्तांतरित करने के मामले में लागू होगा, जो उपधारा (4) के अन्तर्गत नहीं आने वाले किसी कारण से पद धारण नहीं करता है।

(6) यदि किसी पद त्याग के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह ऐसे अधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे और ऐसे अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

परन्तु ऐसे किसी विवाद पर विचार उस तारीख से जिसको पद त्याग प्रभावी हुआ, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि ऐसा पद त्याग ऐसे अधिकारी के विनिश्चय के अनुसार प्रभावी होगा ।''।

4. धारा 64. (i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

''(1)'' प्रत्येक नगरपालिका परिषद् एक स्थायी समिति नियुक्त करेगी तथा ऐसी विषय समितियों को नियुक्त कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत लोक संकर्म समिति, जलापूर्ति, मल निकासी और जल निकासी समिति, स्वच्छता समिति, प्रकाश और सौंदर्यीकरण समिति भी हैं।

परन्तु इस धारा में उल्लिखित समितियों से भिन्न किन्हीं अन्य विषय समितियों का गठन करने से पूर्व, निदेशक नगरपालिका प्रशासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।'';

(ii) उपधारा (2) में, समिति शब्द के पश्चात्, विषय समिति शब्द अंत:स्थापित करें।'';

(iii) उपधारा (3) में, की नियुक्ति शब्द के पूर्व, अन्य विषय समिति शब्द अंत:स्थापित करें।'';

(iv) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें-

''(4) अध्यक्ष, धारा 53 के अधीन अध्यक्ष के रूप में उसके निर्वाचन के सात दिन के भीतर स्थायी समिति और विषय समितियों के सदस्यों की संख्या का अवधारण तथा सरकार द्वारा विहित रीति में इन समितियों में निर्वाचन करवाने के प्रयोजन के लिए परिषद् की एक विशेष बैठक बुलाएगा।'';

(v) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें-

''(5) विषय समिति और स्थायी समिति का सभापति उपधारा (4) के अधीन की गई बैठक में उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।'';

(vi) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

''(6) इस विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नगरपालिका के लिए पार्षदों की सम्पूर्ण संख्या के आधे से अनन्यून द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा समय-समय पर इस विनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में किसी भी लिंग के व्यक्ति को निर्वाचित करना विधिपूर्ण होगा, जो पार्षद नहीं हैं किन्तु जो ऐसी नगरपालिका की राय में ऐसी समिति की सेवा करने के लिए विशेष अर्हताएं रखता है या जो किसी प्राधिकारी या हित का प्रतिनिधित्व करता है:

परन्तु इस प्रकार किसी समिति में निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक होगी।

परन्तु यह और कि पार्षदों के कर्तव्यों, शक्तियों, दायित्वों, निर्हताओं और निर्योग्यताओं से संबंधित इस विनियम के उपबंध यथाशक्य ऐसे व्यक्तियों को लागू होंगे।'';

5. धारा 65 का लोप करें।

6. धारा 67-धारा 67 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

''67. स्थायी समिति और अन्य विषय समितियों के सभापति और सदस्यों की पदावधि एक वर्ष या पार्षदों के रूप में उनकी पदावधि की बची हुई अवधि होगी, जो भी कम हो, किन्तु उनमें से प्रत्येक पुन: निर्वाचन का पात्र होगा:

परन्तु यदि ऐसा कोई सभापति या सदस्य, सदस्यों के मामले में समिति के सभापति द्वारा अनुदत्त या समिति के सभापति के मामले में परिषद् के अध्यक्ष अनुदत्त अनुपस्थिति से छूट के सिवाय, समिति की दो पश्चात्वर्ती बैठकों से स्वयं अनुपस्थित होता है तो, यथास्थिति, वह सभापति या सदस्य नहीं रह सकेगा।'';

7. धारा 90.- उपधारा (2) में खंड (क) के आरम्भ में ''मुख्य कार्यों के संबंध में सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए,''

8. धारा 104 – खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

''(झ) ऐसे मोबाइल टावरों के माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए व्यक्ति से उदग्रहित किया जाने वाला मोबाइल टावरों पर कर

(ञ) संबंधित अभिकरण से सड़क पर प्रदान की गई उपयोगिताओं पर कर;''

[फा. सं. यू.-11025/3/2020-यू.टी.एल.]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Union Territory Division)

ORDER

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 247(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, namely:–

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Sixth Order, 2022.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The General Clauses Act, 1897(10 of 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. On and from the date of publication of the Order, the Act and Regulations mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule annexed to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of a Regulation, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal a State Law or any Regulation so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 26th day of January, 2020; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance, with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The omission or amendment of any section or provision of a Regulation or repeal of any Law specified in the Schedule to this Order shall not affect.—

   (a) the previous operation of any such section or provision or Regulation or Law so omitted or amended or repealed or anything duly done or suffered thereunder;

   (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any such section or provision so omitted or repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any section or provision so omitted or repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 or this Order had not come into force.

(2) Subject to the provisions contained in sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, from, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such Law or Regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Laws now extended and applicable to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Laws now extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

SCHEDULE

(See paragraph 3)

1. STATE LAW

1. PRESIDENTIAL REGULATIONS

(A). THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND MUNICIPAL COUNCIL REGULATION, 2004

(2 of 2004)

1. Section 17.– In sub-section (1),-

(a) in clause (g), before “has voluntarily” insert “who is not a citizen of India,”;

(b) after clause (n) insert,-

“(o) who has more than two children :

Provided that a person having more than two children on the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Sixth Order, 2022 (hereinafter in this clause referred to as "the date of such commencement"), shall not be disqualified under this clause, so long as the number of children he had on the date of such commencement does not increase:

Provided further that a child or more than one child born in a single delivery within the period of one year from the date of such commencement shall not be taken into consideration for the purpose of disqualification under this clause.

Explanation .- For the purpose of this clause,—

(i) where a couple has only one child on or after the date of such commencement, any number of children born out of single subsequent delivery shall be deemed to be one entity;

(ii) 'child' does not include an adopted child or children.”

2. Section 53.–In the proviso to sub-section (1), omit “subject to any general or special orders of the Central Government,”.

3. Section 54.– For section 54 substitute, –

Term of office of President and Vice-President.

“54.(1) (a) The term of office of the President and Vice-President of a municipality constituted upon general election held after the coming in force of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Sixth Order, 2022 shall be two and half years.

(b) The office of the President and Vice President shall be reserved for women in every second term.

(c) Subject to the other provisions of this section, the President or Vice-President of a council who is holding office while coming in force of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Sixth Order, 2022 shall continue his office only for two and a half years from the date they are appointed and no longer.

(2) If during his term of office under sub-section (1), the President or the Vice-President ceases to be a councillor, he shall vacate the office held by him.

(3) On the expiry of the term of office of the councillors of the municipality, the current administrative duties of the office of the president and of the vice-president of the municipality shall be carried on by such officer of the State Government, as is may by order specify in that behalf, until such time as new president and vice-president shall have been elected and shall have taken over the charges of their duties.

(4) On the resignation or removal of a president or vice-president, it shall be the duty of the retiring or removed president or, as the case may be, vice-president to hand over the charge of his office and the record and property belonging to the municipality and in his custody to the incumbent President or Vice-President or to the Director or any other officer who may have been appointed by the Government.

(5) The provisions of sub-section (4) shall, mutatis mutandis, apply in the matter of handing over charge of office by a president, vice-president or councillor, who ceases to hold office for any reason not covered by sub-section (4).

(6) If any dispute regarding any resignation arises, it shall be referred for decision to such officer as the Government may, by general or special order, appoint in that behalf and decision of such officer shall be final.

Provided that no such dispute shall be entertained after the expiry of a period of thirty days from the date on which the resignation took effect:

Provided further that such resignation shall take effect in accordance with the decision of such officer.".

4.Section 64.–(i) For sub-section (1) substitute,—

"(1) Every municipal council shall appoint a Standing Committee and may appoint such Subjects Committees—including Public Works Committee, Water Supply, Sewerage and Drainage Committee, Sanitation Committee, Lighting and Beautification Committee—as it may deem necessary. Provided that before constituting any subject committees other than those mentioned in this section, prior approval of Director Municipal Administration shall be obtained.";

(ii) In sub-section (2), after "Committee" insert "and Subjects Committee.";

(iii) In sub-section (3), after "appoint any" insert "other Subjects Committee.";

(iv)For sub-section (4) substitute.—

"(4) The President shall, within seven days of his election as President under section 53, call a special meeting of the Council for the purpose of determining the number of members of standing committee and subject committees and holding election to these committees in the manner prescribed by the Government.";

(v) For sub-section (5) substitute.—

"(5) The Chairman of the Subjects Committee and Standing Committee, shall be elected by the members thereof, at the meeting convened under sub-section (4)";

(vi) after sub-section (5) insert.—

"(6) Notwithstanding anything contained in this regulation, it shall be lawful for a municipality from time to time by a resolution supported by not less than one half of the whole number of

councillors, to elect as members of any committee appointed under this regulation, any person of either sex, who is not a councillor but who in the opinion of such municipality possesses special qualifications for serving on such committee or who represents any authority or interests:

Provided that the number of persons so elected on any Committee shall not exceed one-third of the total number of the members of such Committee.

Provided further that the provisions of this regulation relating to the duties, powers, liabilities, disqualifications and disabilities of councillors shall be applicable so far as may be to such persons.";

5. Omit section 65.

6. Section 67.– For section 67 substitute.—

"67. The term of office of the Chairman and members of Standing Committee and of other Subjects Committees shall be one year or for the residue of their term as Councillors, whichever is less, but each of them shall be eligible for re-election:

Provided that, if any such Chairman or member absents himself from any two subsequent meetings of the committee except with the leave of absence granted by the chairman of the committee in case of members and granted by the President of the council in case of Chairman of the committee, he may cease to be a Chairman or member as the case may be.".

7. Section 90.–In sub-section (2) in the beginning of clause(a) insert "Subject to any general or special order of the Government in respect of major works,"

8. Section 104.–After clause (h), insert,—

"(i) a tax on mobile towers to be levied from the person engaged in providing telecommunication services through such mobile towers;

(j) a tax on utilities placed in road from agency concerned:"

[F. No. U-11025/3/2020-UTL]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.18 22:31:31 +05'30'